लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3711
उत्तर देने की तारीखः 21.12.2021

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाएं

3711. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के कल्याण के लिए योजनाओं को लागू करता है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के तहत आवंटित धनराशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) प्राप्त/स्वीकृत/लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के तहत इसमें हुई वास्तविक प्रगति/हासिल उपलब्धियों और प्राप्त शिकायतों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या जनसंचार माध्यमों में जागरूकता और प्रचार की कमी के कारण अधिकांश पिछड़े वर्ग (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं; और
(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क): सामाजिक न्याय विभाग के तत्वावधान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (सीसीए) और बैंकों (पीएसबी और आरआरबी) के माध्यम से मुख्यतः स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आय-जन्य क्रियाकलापों हेतु 3.00 लाख रूपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले पिछड़े वर्गों के सदस्यों को रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम सौंपा गया है।

एनबीसीएफडीसी पिछड़े वर्गों के लिए देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एससीए/बैंकों के माध्यम से निम्नलिखित स्कीमों को कार्यान्वित करता है।

1. ऋण स्कीम

(क) सावधि ऋण
(क)सामान्य ऋण स्कीम
(ख) शिक्षा ऋण स्कीम
(ग)नई स्वर्णिम स्कीम

(ख) **माइक्रो वित्त**

(क)माइक्रो वित्त स्कीम

(ख) महिला समृद्धि योजना (महिलाओं के लिए माइक्रो वित्त योजना)

(ग)लघु ऋण

(घ)एनबीएफसी – एमएफआई ऋण

2. **ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम – विश्वास योजना**

वर्ष 2020-21 के दौरान, एनबीसीएफडीसी ने ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम- वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (विश्वास) योजना आरंभ की, जिसमें एसएचजी के लाभ के साथ सभी ओबीसी लाभार्थी 4.00 लाख रूपए तक का ऋण/उधार और ओबीसी व्यक्तिगत लाभार्थी 2.00 लाख रूपए तक का ऋण/उधार प्राप्त कर सकते है। उक्त स्कीम के अंतर्गत पात्र स्वः सहायता समूह या व्यक्तिगत लाभार्थी 5% प्रति वर्ष की दर से आर्थिक सहायता के लिए पात्र होंगे।

प्रस्तावित स्कीम का उद्देश्य उन पात्र स्वः सहायता समूहों (एसएचजी)/व्यक्तिगत लाभार्थियों को कम ब्याज दर पर प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करना है, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) या इसी तरह के वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण लिया है।

3. **कौशल विकास प्रशिक्षण स्कीम (पीएम-दक्ष)**

एनबीसीएफडीसी अन्य पिछड़ा वर्गों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय के पात्र सदस्यों के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से पीएम-दक्ष के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है ताकि पात्र लक्ष्य समूह स्वतः/सवेतन रोजगार के माध्यम से विकासात्मक क्रियाकलाप में नियोजित हो सकें।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक स्कीम के तहत आवंटित/जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण संलग्न **अनुबंध-क,ख और ग** में दिया गया है।

(ख): एनबीसीएफडीसी को एससीए/बैंकों से वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं जिन्हें विवेकपूर्ण मानदंडों को पूरा करने और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एएपी की प्राप्त राशि, अनुमोदित राशि और लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-घ** में संलग्न है। आज की दिनांक तक, एएपी का कोई प्रस्ताव एनबीसीएफडीसी के पास लंबित नहीं है। अतः उक्त अवधि में कार्यालय में उक्त प्रकरण पर ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ): जी नहीं। ऐसा कोई मामला निगम के संज्ञान में नहीं आया है।

*****

अनुबंध-क

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वर्ष 2020-21 के दौरान आवंटित/जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और स्कीम-वार विवरण दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/पीएसबी का नाम	2020-21					
		वितीय (जारी निधि)			वास्तविक (लाभार्थियों की संख्या)		
		सावधि ऋण स्कीम	माइक्रो वित्त	कुल	सावधि ऋण स्कीम	माइक्रो वित्त	कुल
I.	राज्य	(रूपए करोड़ में)	(रूपए करोड़ में)	(रूपए करोड़ में)	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)
1	आंध्र प्रदेश	0.73	0.00	0.73	63	0	63
2	अंडमान निकोबार	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	असम	0.31	1.25	1.56	64	305	369
4	बिहार	0.69	0.00	0.69	61	0	61
5	छतीसगढ़	4.36	0.39	4.75	268	62	330
6	गुजरात	12.13	17.19	29.32	1256	3803	5059
7	गोवा	0.50	0.00	0.50	62	0	62
8	हरियाणा	1.32	3.00	4.32	197	476	673
9	हिमाचल प्रदेश	1.80	1.34	3.14	231	238	469
10	जम्मू और कश्मीर	2.80	3.25	6.05	428	775	1203
11	झारखंड	0.48	0.00	0.48	34	0	34
12	कर्नाटक	1.48	0.00	1.48	230	0	230
13	केरल	55.85	106.50	162.35	9460	36850	46310
14	मध्य प्रदेश	25.24	12.02	37.26	1316	3170	4486
15	महाराष्ट्र	0.38	0.00	0.38	38	0	38
16	मणिपुर	0.06	0.00	0.06	3	0	3
17	मेघालय	0.002	0.00	0.002	1	0	1
18	मिजोरम	0.02	0.00	0.02	2	0	2
19	ओड़िशा	0.53	0.00	0.53	28	0	28
20	पंजाब	10.89	7.81	18.70	1414	1248	2662
21	राजस्थान	9.64	4.50	14.14	2703	999	3702
22	सिक्किम	0.001	0.00	0.001	1	0	1
23	तमिलनाडु	14.23	94.00	108.23	2741	28936	31677
24	तेलंगाना	0.16	24.00	24.16	35	6000	6035
25	त्रिपुरा	2.46	7.70	10.16	257	2008	2265
26	उत्तर प्रदेश	18.90	17.00	35.90	2213	3060	5273
27	उत्तराखंड	0.25	0.00	0.25	20	0	20
28	पश्चिम बंगाल	0.12	0.00	0.12	13	0	13
	उप-कुल राज्य (1 से 26)	**165.34**	**299.95**	**465.28**	**23139**	**87930**	**111069**
II.	संघ राज्य क्षेत्र						
27	चंडीगढ़	0.01	0.00	0.01	5	0	5
28	दिल्ली	0.58	0.80	1.38	73	100	173
29	पुदुचेरी	0.04	0.00	0.04	14	0	14
	उप-कुल संघ राज्य क्षेत्र (27 से 29)	**0.63**	**0.80**	**1.43**	**92**	**100**	**192**
	कुल (I + II)	**165.97**	**300.75**	**466.71**	**23231**	**88030**	**111261**

अनुबंध-ख

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां (कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम)

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19		2019-20		2020-21	
		प्रशिक्षुओं की संख्या	आबंटित निधि (रूपए लाख में)	प्रशिक्षुओं की संख्या	आबंटित निधि (रूपए लाख में)	प्रशिक्षुओं की संख्या	आबंटित निधि (रूपए लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	1946	172.41	907	152.38	410	42.46
2	असम	2420	293.68	3484	857.86	786	87.46
3	बिहार	520	110.64	1130	236.34	1003	116.68
4	चंडीगढ़	0	0	60	9	0	0
5	छतीसगढ़	490	61.49	694	127.28	440	56.30
6	दिल्ली	639	58.95	410	55.17	244	46.16
7	गोवा	100	9.08	0	0	0	0
8	गुजरात	480	79.21	776	175.16	803	118.89
9	हरियाणा	1734	228.56	1825	378.62	664	94.25
10	हिमाचल प्रदेश	790	102.27	860	191.97	120	11.11
11	जम्मू और कश्मीर	560	79.5	665	107.14	440	74.68
12	लद्दाखी	0	0	0	0	60	11.61
13	झारखंड	500	35.39	570	104.26	200	25.42
14	कर्नाटक	559	55.29	204	28.62	458	62.59
15	केरल	580	65.2	1609	291.67	519	76.71
16	मध्य प्रदेश	2187	305.08	2259	392.59	1313	246.35
17	महाराष्ट्र	660	101.8	1359	310.01	1047	135.43
18	मणिपुर	657	104.59	536	238.44	181	36.67
19	मेघालय	150	17.64	200	29.15	60	2.99
20	मिजोरम	0	0	60	14.75	0	0
21	ओड़िशा	956	129.97	1606	373.26	357	46.52
22	पंजाब	1700	242.3	694	114.30	588	77.30
23	राजस्थान	290	34.86	1067	226.50	846	120.21
24	सिक्किम	420	50.88	340	62.40	160	25.48
25	तमिलनाडु	570	51.76	1391	206.22	756	96.05
26	तेलंगाना	410	56.13	270	62.54	250	26.20
27	त्रिपुरा	1280	144.04	1330	265.31	30	2.57
28	उत्तर प्रदेश	2773	327.39	3988	626.06	2616	306.45
29	उत्तराखंड	750	76.93	600	114.50	750	88.78
30	पश्चिम बंगाल	919	91.82	1597	265.09	649	79.68
	कुल	25040	3086.86	30491	6016.59	15750	2115.00

अनुबंध-ग

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

2020-21 के दौरान विश्वास योजना के तहत राज्यवार आर्थिक सहायता राशि

	2020-2021	
राज्य	आर्थिक सहायता राशि (रूपए लाख में)	लाभार्थी (संख्या)
आंध्र प्रदेश	0.00	0
असम	0.00	0
बिहार	0.32	328
गुजरात	0.07	6
हरियाणा	0.08	2
हिमाचल प्रदेश	0.04	6
कर्नाटक	0.11	134
केरल	0.00	0
मध्य प्रदेश	31.48	2750
महाराष्ट्र	0.00	10
ओड़िशा	0.00	0
पंजाब	0.10	11
राजस्थान	0.29	40
तमिलनाडु	0.00	0
तेलंगाना	5.92	594
उत्तर प्रदेश	62.59	2862
पश्चिम बंगाल	0.00	0
कुल	101.02	6743

अनुबंध-घ

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

वर्ष 2020-21 के दौरान सैद्धांतिक आवंटन, प्राप्त एएपी, अनुमोदित एएपी, लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

रूपए लाख में

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र/बैंक	प्राप्त एएपी (रूपए लाख में)	अनुमोदित एएपी (रूपए लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
क.	**राज्य**			
1	आंध्र प्रदेश	2500.00	2500.00	10000.00
2	तेलंगाना	2500.00	2500.00	5000
3	बिहार	0.00	0.00	0
4	चंडीगढ़	1322.75	1100.00	945
5	गोवा	134.86	135.00	126
6	गुजरात	10683.39	8750.00	9493
7	हरियाणा	2125.21	1500.00	2600
8	हिमाचल प्रदेश	500.00	500.00	573
9	झारखंड	0.00	0.00	0
10	कर्नाटक	0.00	0.00	0
11	केरल	20309.10	19800.00	65035
12	मध्य प्रदेश	6000.00	6000.00	5000
13	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0
14	ओड़िशा	0.00	0.00	0
15	पंजाब	1850.00	1850.00	2840
16	राजस्थान	1800.00	1500.00	2800
17	तमिलनाडु	9383.50	10000.00	24100
18	उत्तराखंड	115.40	100.00	175
19	उत्तर प्रदेश	7000.00	4800.00	4950
20	पश्चिम बंगाल	840.00	840.00	2904
	संघ राज्य क्षेत्र			
21	चंडीगढ़	29.00	29.00	72
22	दिल्ली	134.00	134.00	169
23	जम्मू और कश्मीर	1115.50	650.00	1080
24	पुदुचेरी	499.96	22.00	43
ख.	**उत्तर पूर्वी**			
25	असम (आर्टफेड)	1160.00	1150.00	2115
26	मणिपुर	0.00	0.00	0
27	सिक्किम	442.00	440.00	600
28	त्रिपुरा	6110.50	3350.00	3550
ग.	**पीएसबी**			
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	8000.00	8000.00	9100
2	केनरा बैंक	0.00	0.00	0
3	पंजाब नेशनल बैंक	3000.00	3000.00	3000
	कुल	**87555.17**	**78650.00**	**156270**

आवंटन का आधार

क. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या और एससीए के पिछले प्रदर्शन के आधार पर सैद्धांतिक आवंटन किया जाता है।

ख. सरकार की नीति के अनुसार किए गए पूर्वोत्त रराज्यों को कुल आवंटन का 10% से अधिक।

****